



# NCRES

## NORTH CENTRAL RAILWAY EMPLOYEES SANGH



Registered, Recognised & Affiliated to N.F.I.R. & I.N.T.U.C.&I.T.F.  
Central Office : 464-AB, Nawab Yusuf Road, Prayagraj (U.P.)  
Website : www.ncresindia.org | E-mail : rpsinghncr@gmail.com

**R. P. Singh**

Gen. Secretary  
&  
Treasurer-NFIR

Resi. 273-A, Nyay Vihar Colony  
Sulem Sarai, Prayagraj - 211011  
P&T (O) 0532-2560480, (R) 2972645

No : 30 /NCRES/42/26

Date : 27.1.2026

श्रीमान डा0 एम. राघवैय्या जी  
महामंत्री, एन.एफ.आई.आर.

विषय : S&T, Electrical (TRD) एवं मैकेनिकल विभाग (ART & ARME) के JE/SSE को Protection Gears न दिया जाना।  
संदर्भ : (i) NCRES PNM मद संख्या 19/12/2019  
(ii) रेलवे बोर्ड पत्र संख्या 2018/TF Cell/S&T/S&T दिनांक 5.3.2019

महोदय,

उपरोक्त विषय में अवगत कराना है कि रेलवे बोर्ड ने अपने पत्र संख्या 2018/TF Cell/S&T/S&T यूनिफार्म दिनांक 5.3.2019 के द्वारा S&T, Electrical (TRD) एवं मैकेनिकल विभाग (ART & ARME) विभाग के टेक्नीशियन एवं असिस्टेंट को जैकेट, Luminous Vest, Tri Colour LED 3 Cell टार्च, Rechargeable Torch आदि देने का आदेश किया था परन्तु उस पत्र में इन विभागों के JE/SSE का उल्लेख नहीं होने से उपरोक्त प्रोटेक्टिव गियर नहीं दिये जा रहे हैं।

NCRES का मानना है कि S&T, Electrical एवं मैकेनिकल विभाग का JE/SSE फ्रंट लाइन स्टाफ है जिसको प्रत्येक फेलियर इंस्पेक्शन/रूटिन कार्य हेतु दिन एवं रात में विपरीत मौसम एवं परिस्थितियों में लाइन पर जाना पड़ता है एवं आये दिन कार्य के दौरान उनकी शहादत हम सभी को द्रवित करती रहती है।

यहाँ यह कहना भी अति आवश्यक है कि उपरोक्त मुद्दे को NCRES ने NCR में PNM फोरम पर भी उठाया था जिस पर NCRES की बात से सहमत होते हुये भी रेलवे बोर्ड के पत्र का हवाला देकर JE/SSE को Protection Gear देने हेतु इन्कार कर दिया गया।

अतः आप से अनुरोध है कि चूंकि JE/SSE की स्वयं की सुरक्षा एवं रेल संरक्षा हेतु Protection Gear अति आवश्यक है इसलिये आप से अनुरोध है कि रेलवे बोर्ड के संदर्भित पत्र (ii) दिनांक 5.3.2019 में टेक्नीशियन असिस्टेंट के साथ JE/SSE को भी शामिल कराने हेतु आवश्यक संशोधन कराने का कष्ट करें।

*mijubhuc*  
(आर. पी. सिंह)  
महामंत्री